कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–.......141.................../ दिनांकः–22.01...2020

अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

स्थानीय बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड कांटा टोली, राँची में निगम स्वामित्व की 17 दुकानों को मासिक किराये पर आंवटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है। दुकानों का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 32.34/– रू0 प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) एवं 2/–रू0 प्रति वर्गफीट सुविधा शुल्क निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 20,000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। दुकान का क्षेत्रफल एवं निविदा का आमंत्रण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं0	दुकान संख्या	दुकान का क्षेत्रफल	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
1	01	432.22	दिनांक 06.02.2020 अपराह्न 2:00 बजे तक	दिनांक 06.02.2020 अपराह्न 03:00 बजे
2	02	248.92		
3	03	248.92		
4	04	248.92		
5	05	248.92		
6	06	248.92		
7	07	248.92		
8	08	248.92		
9	09	248.92		
10	10	432.22	दिनांक 07.02.2020 अपराह्न 2:00 बजे तक	दिनांक 07.02.2020 अपराह्न 3:00 बजे
11	11	158.04		
12	12	158.04		
13	13	158.04		
14	14	158.04		
15	15	158.04		
16	16	158.04		
17	17	158.04		

नोट –1. आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2020 से 01.02.2020 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय से 500/– रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्त्ते निगम वेब–साईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

22.1.2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned by CamScanner

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची ।

निविदा की शर्ते।

1 डाक की सुरक्षित राशि 32.34/–रू0 (कर अतिरिक्त) प्रतिवर्गफिट प्रतिमाह है।

2 आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2020 से 01.02.2020 तक 500/–रू0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

3 पूर्व में सफल निविदादाता को होने वाली निविदा से वंचित किया जाता है।

4 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।

5 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 20,000/- रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

6 सफल निविदादाता को जमानत कि राशि के रूप में 06 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा। इस राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।

7 निविदा प्रस्ताव में दुकान संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

8 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।

9 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

10 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।

11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 प्रत्येक माह के 07 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।

13 दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

14 दुकान आवंटन रद्द किये जाने या दुकान छोड़ने की स्थिति में जमानत कि राशि वापस कर दी जायेगी।

15 किसी प्रकार की मरम्मत्ति या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16 दुकान का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरिक्षण करने को स्वतंत्र होगे।

17 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।

22.1.2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned by CamScanner